Decision of companies to Reduce Interest Rates on Public Deposits.

3694. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether companies have decided to reduced interest rates on public deposits; and

(b) if so, whether this would affect middle class savings?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) Interest rates offered by Non-banking companies, on deposits accepted by them, are not regulated either under the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, in the case of Non-banking Non-financial companies, or by the Reserve Bank of India, under the directions issued by them to Non-banking financial and Miscellaneous Non-banking companies. Reserve Bank have, however, reported that it has come to their notice, through newspaper reports, that some of the larger Non-financial companies have reduced the rates of interest on deposits by half per cent to one per cent.

(b) As compared to bank deposits, the quantum of deposits mobilised by Non-banking companies is a small amount. The change in the rate of interest by some Non-banking Non-financial companies is not, therefore, expected to have any significant impact on middle class savings.

Merger of S. T. C. and M. M. T. C.

3695. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to merge the State Trading Corporation; and Mineral and Metals Trading Corporation into one Corporation;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reasons why two separate Corporations have been kept for canalised imports?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The roles of the STC and the MMTC are well defined and distinct. The commodities handled by each are specified, keeping in view the volume of turnover and the special charcteristics, and there is no overlap or conflict in their functions.

Civil Aerodrome in Salem

3696. SHRI M. KALYANASUNDARAM: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for the construction of a Civil Aerodrome in Salem District in view of the increasing importance of Salem as an industrial centre; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रूई, गेहूं आदि में वायदा व्यापार

3698. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रूई, गेहूं, तिलहन, चांदी, नारियल,

सूखे धान के मामले में नियमित आधार पर वायदा व्यापार आरम्भ करने का है ;

(ख) वायदा व्यापार के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ; और

(ग) क्या वायदा व्यापार शुरु किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो ये अभ्यावेदन किन किन और कहां कहां से और कब कब मिले और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) वायदा व्यापार का नियमन अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 द्वारा होता है । वायदा बाजार आयोग, जो इस मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन है, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के प्रशासन तथा प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है और यह कई वस्तुओं के वायदा व्यापार को नियमित करता है, वायदा बाजार आयोग के अधीन एक प्रवर्तन निदेशालय है, जो गैर कानूनी सौदों को रोकने तथा उन्हें बंद करने के लिए कार्यवाही करता है ।

(ग) अभिवेदनों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । जो सभा पटल पर रखा गया है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या L.T.717/77) इन प्रतिवेदनों पर वायदा बाजार आयोग, बम्बई की सलाह से सावधानी पूर्वक विचार किया गया ।

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

'3699. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और उक्त हवाई अड्डों को बड़े विमान उतारने तथा उड़ाने के योग्य बनाने पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पोरबन्दर, केशोद, राजकोट, जामनगर, भावनगर, भुज हवाई अड्डों पर इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई और बाकी धनराशि कब खर्च की जायेगी और उक्त धनराशि किन मदों पर खर्च की जायेगी ; और

(ग) क्या केशोद और पोरबन्दर हवाई अड्डों को वर्षा ऋतु के दौरान भी चालू रखने के बारे में एक योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान देश में हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण पर किया जाने वाला प्रस्तावित व्यय करीब 86.95 करोड़ रुपये है ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोरबन्दर केशोद, राजकोट, जामनगर, भावनगर तथा भुज विमान क्षेत्रों पर अब तक किया गया व्यय 46.52 लाख रुपये है । पांचवीं योजना की शेष अवधि के दौरान भावनगर तथा भुज में अदिशिक बीकनों के लिये भवनों के निर्माण, उपर्युक्त सभी छः विमान-क्षेत्रों पर जीपों, एम्बूलैंसों, तथा फायर टेंडरों की व्यवस्था, तथा राजकोट पर धावन पथ के फर्श के नवीकरण के लिये 45.95 लाख रुपये का व्यय होने की आशा है ।